F.No. 1-17/2010-EE-4(Pt.I)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of School Education & Literacy
EE-4 Section
*****

New Delhi, dated the 9th April, 2015.
13th

To
Secretary,
Department of School Education,
Government of West Bengal,
Bikash Bhavan, Salt Lake,
Kolkata,
West Bengal-700091.

Subject: **Extension of relaxation to the State of West Bengl under Section 23(2) of the RTE Act, 2009 for the appointment of teachers upto 31st March, 2016.**

Sir,

I am directed to refer to your D.O No. 133-SSE/15 dated 23.03.2015, on the subject mentioned above and to inform you that this Department has examined and considered the extension of the relaxation granted to the State Government under Section 23(2) of the RTE Act, 2009.

2. In exercise of powers conferred by Section 23(2) of the RTE Act, 2009, the Central Government has extended the relaxation to the State Government of West Bengal, *vide* notification S.O. 918(E) dated 1st April, 2015 which was published in the Gazette of India on 1st April, 2015. A copy of the aforementioned notification is being enclosed herewith for your information and necessary action.

Encl.: as above.

Yours faithfully,

(Sharda Sharma)
Under Secretary to the Government of India
Tele-01123381662

Copy to:

1. Member Secretary, NCTE, Wing-II, Hans Bhawan, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 for information/record.

2. NIC- for uploading the notification in the Ministry's website (www.mhrd.gov.in).

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2015/चैत्र 11, 1937
No. 688] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2015/CHAITRA 11, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,1 अप्रैल, 2015

का.आ. 918(अ).—जबकि अध्यापक शिक्षा परिषद (जिसे आगे एनसीटीई कहा गया है) ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (जिसे आगे आरटीई अधिनियम कहा गया है) के अनुसरण में, किसी व्यक्ति के कक्षा I से कक्षा VIII में अध्यापक के रूप मे नियुक्त होने के लिये 25 अगस्त, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 मे प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं;

2. और जबकि, आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां राज्य के पास अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं है अथवा आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, केंद्र सरकार, यदि आवश्यक समझे तो, अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं में ऐसी अवधि, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, के लिये अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान कर सकती है और इसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

3. और जबकि, केन्द्र सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरटीई अधिनियिम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत छूट प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु राज्य सरकारों के वास्ते 8 नवम्बर, 2010 को दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं;

4. और जबकि, केंद्र सरकार ने आरटीई अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा-(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 10.06.2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01.06.2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1352 (अ) के द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 31.03.2014 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान की थी;

5. और जबकि, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने एनसीटीई की 25.08.2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में इसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता मानदंडों में छूट के विस्तार के लिए केंद्र सरकार को दिनांक 23.03.2015 के अपने पत्र द्वारा एक प्रस्ताव भेजा था।

6. और जबकि, केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत छूट को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव की जांच की और उस पर विचार किया;

7. अब, तत्पश्चात्, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने दिनांक 25.8.2010 की सं. 215 द्वारा भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित एनसीटीई द्वारा कक्षा-I-VIII के संबंध में अधिसूचित न्यूनतम शिक्षक अर्हता मानकों के संबंध में पश्चिम बंगाल के लिए छूट को आगे बढ़ाया है जो इस प्रकार है :—

(क) कक्षा-I-V में शिक्षक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए) में 2 वर्षीय डिप्लोमा; और

(ख) कक्षा VI से VIII में शिक्षक की नियुक्ति के लिए शिक्षा (बीएड) में एक वर्षीय स्नातक डिग्री।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त छूट दिनांक 31 मार्च, 2016 तक वैध रहेगी और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, नामत: —

i. जैसा कि एनसीटीई की उपुर्यक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है, पश्चिम बंगाल सरकार एनसीटीई द्वारा दिनांक 11.02.2011 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में शिक्षक पात्रता परीक्षा (जिसे आगे टीईटी कहा गया है) आयोजित करेगी और टीईटी को उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों पर ही प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है;

ii. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक एनसीटीई की उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित, न्यूनतम अर्हता मानकों के अनुरूप भर्ती नियमों को संशोधित करेंगे।

iii. नियुक्ति के मामले में, राज्य सरकार उन पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जो एनसीटीई की दिनांक 25.08.2010 की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं और इसके पश्चात् ही, पात्र अभ्यर्थियों पर इस अधिसूचना में निर्धारित छूट प्राप्त अर्हताओं के साथ विचार किया जाएगा।

iv. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन का राज्य और राज्य के बाहर व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

v. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन शिक्षकों के पास एनसीटीई की उपर्युक्त अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं नहीं हैं वे इन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित समय सीमा के तहत प्राप्त करेंगे।

vi. राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि जो शिक्षक छूट प्राप्त अर्हताओं के तहत नियुक्त किए गए हैं वे नियुक्ति के दो वर्षों की अवधि के अंदर एनसीटीई अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करेंगे।

2. एनसीटीई द्वारा दिनांक 11.02.2011 के पत्र द्वारा जारी टीईटी दिशानिर्देशों के पैरा 5 के उप-पैरा (iii) के अनुसरण में, 31.03.2016 तक राज्य में की गई शिक्षकों की नियुक्तियों के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा टीईटी की परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति भी पात्र होंगे नामत: —

i. कक्षा I से V के लिए - न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (या समकक्ष)

ii. कक्षा VI से VIII के लिए - न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक।

[फा.सं. 1-17/2010-ईई4]

रीना रे, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2015

S.O. 918(E).—Whereas the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as NCTE), in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), (hereinafter referred to as the RTE Act), laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII vide Notification No. 215 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 25th August, 2010;

2. And whereas, sub-section (2) of section 23 of the RTE Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications laid down under sub-section (1) of section 23 of the RTE Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

3. And whereas, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 35 of the RTE Act, the Central Government laid down the guidelines on 8th November, 2010 for the State Governments for submitting proposal to the Central Government for grant of relaxation under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;

4. And whereas, the Central Government in exercise of the powers under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act granted relaxation to the State Government of West Bengal for a period up to 31st March, 2014 *vide* notification number S.O. 1352 (E), dated the 1st June, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 10th June, 2011;

5. And whereas, the State Government of West Bengal vide its letter dated 23rd March, 2015 submitted a proposal to the Central Government for extension of relaxation of the minimum qualification norms laid down by the NCTE in its notification published in the Gazette of India on 25th August, 2010;

6. And whereas, the Central Government examined and considered the proposal of the State Government of West Bengal for extension of relaxation under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the RTE Act, the Central Government hereby extends the relaxation to the State of West Bengal in respect of the minimum teacher qualification norms notified by the NCTE as published in the Gazette of India vide No. 215 dated 25th August, 2010, in so far as they relate to classes I-VIII, as under:—

(a) 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I-V; and

(b) 1-year Bachelors in Education (B. Ed) for appointment of a teacher in classes VI to VIII.

Note: 1. The aforementioned relaxation shall be valid upto 31st March, 2016 and shall be subject to the following conditions, namely: —

(i) as specified in the aforementioned notification of the NCTE, the Government of West Bengal shall conduct the Teacher Eligibility Test (hereinafter referred to as TET) in accordance with the guidelines dated 11th February 2011 issued by the NCTE and only those persons who pass the TET can be considered for appointment as a teacher in elementary classes;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules to correspond with the minimum qualification norms laid down by the aforementioned notification of the NCTE;

(iii) in the matter of appointment, the State Government shall give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the NCTE's notification dated 25th August, 2010, and only thereafter, consider the eligible candidates with the relaxed qualifications specified in this notification;

(iv) advertisement for appointment of teachers should be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers not possessing the minimum academic and professional qualifications laid down in the aforementioned notification of the NCTE shall acquire the same within the time limit specified under sub-section (2) of section 23 of the RTE Act;

(vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers who are appointed under the relaxed qualification norms acquire the minimum qualification specified in the NCTE Notification within a period of two years from the year of appointment.

2. In accordance with sub-para (iii) of para 5 of the TET guidelines issued by the NCTE vide its letter dated 11th February, 2011, the following persons shall also be eligible for appearing in the TET conducted by the State Government of West Bengal in respect of teacher appointments made in the State upto 31st March, 2016, namely: —

(i) for classes I to V – Senior Secondary (or equivalent) with at least 50% marks;
(ii) for classes VI to VIII - Graduation with at least 50% marks.

[F. No. 1-17/2010-EE 4]

RINA RAY, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.